

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव
(पीठारसीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा)

राजस्व वाद सं. 29 / 2020
अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

प्राथी	बनाग	विप्रार्थीगण
तुलछाराम पुत्र आसाराम, जाति- जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव		1. विशनाराम पुत्र सोनाराम 2. शेराराम पुत्र मानाराम 3. रेवन्ताराम पुत्र विशनाराम 4. रायमलराम पुत्र शेराराम 5. घमुराम पुत्र शेराराम 6. हुकमाराम पुत्र शेराराम 7. गोकलराम पुत्र शेराराम जाति-जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव
दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
16/11/20	प्राथी के वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्राथी के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथी के वकील की बहस है कि प्राथी की कब्जाशुदा एवं निजी स्वामित्व का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 40.05 बीघा, मौजा उचावडा, तह0 शिव का आया हुआ है। जिस पर प्राथी के परिवार का वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी पर मौके पर प्राथी के रबी मे जीरे की फसल बोई हुई है तथा प्राथी के खेत के चारो तरफ छीणो के टुकडे सेढो पर गाड कर तारबंदी की हुई है। जिसको विप्रार्थीगण हटाते हुऐ जबरन प्राथी के उपरोक्त खेत में टेंक्टर व गाडियां डालकर नया रास्ता जबरन निकाल कर नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। जिसका विप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है और अगर विप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो प्राथी को भविष्य मे न पुरी हो सकने वाली अपुरर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी किमत पर नहीं हो सकेगी। प्राथी के कब्जा काश्त में कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप न करे तथा विवादित आराजी के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा प्राथी की खडी फसल खराब करने के आश्य से प्राथी के खेत के सेढा पर लगी तारबंदी व धोरा तोडकर जबरन टेक्टर व गाडिया डालने की कोशिश नहीं करे तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निशेधाज्ञा पक्ष प्राथी विरुद्ध विप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावें। "धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि:- (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (alienated) के खतरे में है, या	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

5.4.26

पत्रावली पेश हुई।

प्राची/ विप्राची अधिवक्ता उपस्थित/ अनुपस्थित
पत्रावली में आज कोई प्रभाव नाराजगी नहीं होने
कारण इल्लबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 13.4.26 को पेश हो।

13.4.26

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
केदीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आई-वदा
दिनांक 24.4.26 को पेश हो।

24.04.26

पत्रावली पेश। प्राची वकील उपस्थित।
पत्रावली वाले बरत हेतु दिनांक
13.5.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)

13.05.26

पत्रावली पेश। प्राची वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में चेंदबी हेतु न्यायालय समय में
प्राची व प्राची वकील को रोक-रोककर
आगले दी जाने के कारण इल्लबा उपस्थित नहीं।
पत्रावली में प्रभावी चेंदबी नहीं होने एवं
अनुपस्थित रहने से पत्रावली उली स्ट्रेज पर
अदम चेंदबी व अदम हाजरी में प्रकटि की
जाती हैं।

पत्रावली फेलत शुमार होकर नंबर ले
रुम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)